RAJYA SABHA

Thursday, the 18th July, 2002/27 Asadha, 1924 (Saka)

The House met at eleven of the Clock,

MR. CHAIRMAN in the Chair,

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

MR. CHAIRMAN : Question No. 61, Mr. Ramoowalia.

SHRI NILOTPAL BASU : Mr. Chairman, Sir, before the hon. Minister replies to this question, it will be in the fitness of things that the Labour Commission's Report is placed on the Table of the House, May we know from the hon. Minister when it will be placed on the Table of the House ? We do not know what are the recommendations of the Commission. Therefore, before answering this question, will the hon. Minister tell us as to by when the Report will be placed on the Table of the House ?

Report of Rabindra Varma Commission

*61. SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA : Will the Minister of LABOUR be pleased to state :

(a) whether the Commission headed by Ravindra Varma, constituted to review the entire gamut of labour laws and suggest changes in tune with the liberalisation of economy, has submitted its Report to Government;

(b) if, so, what are the main recommendations made by the Commission;

(c) whether any study group was also set by the Commission for social security system before lay-offs as reported in 'The Hindustan Times', dated the 29th June, 2002; and

(d) if so, what relief measures Government propose to give to thousands of employees/workers likely to be retrenched on account of its reportedly "Hire and fire policies" ?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI SAHIB SINGH VERMA) : (a) and (b) Yes, Sir. The Commission has submitted its report to the Government on 29-06-2002. The recommendations of the Commission cover various aspects

of labour *viz.* review of laws, social security, women & child labour, skill development, labour administration, unorganised sector and other matters.

(c) and (d) A study Group on Social Security was set up by the Commission and the report of the Group has been used, as an input, by the Commission in framing its recommendations. The report of the Commission is under process/examination. The recommendations of the Commission would require consultations with all concerned organizations/agencies before these are accepted/implemented.

Mr. CHAIRMAN : Mr. Ramoowalia.

SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA : Mr. Chairman, Sir, first of all, I welcome the hon. Minister, who is a valiant kisan leader. I think, it is his maiden reply. My hunch and apprehension is that this Government is trying to bow before the pressure of the industrialists. The Government made a big promise of providing one crore jobs every year, but that promise has not seen the light of the day so far. It is also clear that, by and large, this Government is anti-labour and pro-industry. It is reported that this Commission has recommended a national policy on social security and also a scheme under which unemployment relief should be given in the case of retrenchments. I would like to know from the hon. Minister whether the Government is going to accept social security as a fundamental right in the event of retrenchments etc., or not.

श्री साहिब सिंह वर्मा : सभापति जी, मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि जो यह एक बात चल रही है कि श्रम सुधार का मतलब श्रमिकों के खिलाफ कुछ काम करना है या श्रम सुधार का मतलब कि कोई ज्यादा एम्प्लायमेंट जेनरेट नहीं करना है। तो यह बात बिल्कुल सही नहीं है। जितनी भी हमारे पास राष्ट्रीय श्रम आयोग की रिपोर्ट आई है इसमें हमें सब बातों का ध्यान रखना है कि आज जो वर्क फोर्स काम कर रही है वह कैसे सस्टेन हो सके, करोड़ों लोगों को जो अनएम्प्लायड हैं, उनको कैसे काम दिया जा सकेऔर इन्वेस्टर्ज को क्या इंसेंटिव दें, कैसे वातावरण बनाएं जिससे कि उन करोड़ों लोगों के हाथों को काम मिल सके। यह हमारा संकल्प है, जो प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि और यह जो हमने राष्ट्रीय श्रम आयोग बनाया था उसके पीछे यह भी एक उद्देश्य है कि जो कारखाने बंद होते जा रहे हैं, जो वातावरण ठीक नहीं है, वह किस तरह से एक अच्छा वातावरण बनाया जाए, जिससे कि उन करोड़ों हाथों को काम दिया जा सके। यह हमारा संकल्प है और मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं

कि इन सब बातों पर विचार किया जाएगा और इस वातावरण को ठीक किया जाएगा जिससे कि लोगों को रोजगार मिल सके। महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं जैसा कि आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर का आश्वासन था, and has not seen the light of the day. I can assure this House that whatever we will do, will be in the interest of the country. We will keep in mind the interests of labour. We will also keep in mind the interest of investors because, until and unless we will keep in kind the interest of both, we cannot pull on. इन सब चीजों को देखकर कार्यवाही की जाएगी। यह मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं। कि सभापति जी, यह मसला बहुत महत्वपूर्ण है और अभी इससे संबंधित रिपोर्ट कैबिनेट के सामने पेश होगी और कैबिनेट के सामने प्रस्तुत करने के बाद उस पर पूरी तरह से विचार किया जा सकता है। इसलिए अभी उसके बारे में सारी बातें यहां बताना ठीक नहीं होगा। कैबिनेट ने वह कमीशन बनाया था और जब तक उसके सामने वह रिपोर्ट न चली जाय, उस पर विचार करना उपयुक्त नहीं होगा। लेकिन ये एक-दो दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं और इस सदन के विचार इस पर आने चाहिए। इस पर सदन में विस्तार से चर्चा होनी चाहिए और उसके अध्ययन के बाद माननीय सदस्य जो कुछ भी कहना चाहें, उनके विचार सामने आएं। इस संबंध में हम पॉलिटिकल पार्टिज से बातचीत करेंगे, यूनियन के लोगों से बातचीत करेंगे और इससे संबंधित जो भी श्रेत्र हैं, उन सब से बातचीत करेंगे और जितनी जल्दी हो सकेगा, हम ये रिफार्म लाने की कोशिश करेंगे।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : सर, यहां एक-दो बातों पर विचार किया जाना बहुत आवश्यक है। पहली बात यह कि आप उद्योगपतियों को खुश करने के लिए रिसेशन का सारा बोझ, रिसेशन की सारी जिम्मेदारी वर्किंग क्लास पर डालना चाहते हैं। आप की सभी नीतियां इस दिशा की ओर बढ़ती हैं जबकि रिपोर्ट यह है कि देश में अगर कोई कारखाना सिक होता है या फेल होता है तो उसके लिए मैनेजेरियल फेलुअर 65 परसेंट रिस्पांसिबल है और लेबर 3 परसेंट रिस्पांसिबल है। पिछले तीन-चार साल से यह आपकी धारणा रही है कि वर्किंग क्लास में जो लेबर और एम्प्लाईज हैं और उनके प्रतिनिधियों को इग्नोर किया जा रहा है, उनको पीछे धकेला जा रहा है। इसमें चाहे डिस-इनवेस्टमेंट हो या और आपकी पॉलिसीज हों। उनको पीछे किया जा रहा है। क्या आप यह आश्वासन देंगे कि कैबिनेट में विचार करने से पहले आप देश के ट्रेड यूनियंस और कामगार व वर्किंग क्लास के प्रतिनिधियों के साथ इस कमीशन की रिपोर्ट पर विस्तृत विचार करेंगे ?

श्री साहिब सिंह वर्मा : सभापति जी, माननीय सदस्य की यह शंका ठीक नहीं है। मैं तो खुद ही एक वर्किंग क्लास से ताल्लुक रखता हूं। मैं जानता हूं कि किसान का बेटा भी खेत में

मजदूरी करता है, काम करता है और खासकर छोटे किसान का बेटा तो काम करता ही है। मैं किसी रूप में भी किसी वर्कर या किसी मजदूर को एक्सप्लाइट किया जाए यह बात सरकार की किसी नीति में अभी तक नहीं आई है। सरकार पूरी तरह से किसानों का सम्मान करती है, मजदूरों का सम्मान करती है और उस सेक्टर में काम करने वाले सभी लोगों का सम्मान करती है। सभापति जी, मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं जैसे कि मैंने पहले कहा, इसमें सभी ट्रेड यूनियन्स चाहे वह किसी पार्टी से संबंधित हैं या नहीं हैं। पालिटिकल पार्टीज से, एम्प्लाईज आर्गेनाइजेशंस से भी और सभी से पूरी तरह से जितनी भी जल्दी हो सकेगा, हम चर्चा करेंगे। आप ने कहा कि कैबिनेट में लाने से पहले करें, कैबिनेट में तो सिर्फ आज उस की रिपोर्ट प्रस्तुत होगी, वह कोई डिसीजन के लिए नहीं प्रस्तुत होगी। उसके बाद हम सब उस पर सभी से चर्चा करेंगे और फिर फाइनल होने के बाद वह फिर से कैबिनेट के सामने एप्रूवल के लिए जाएगी।

SHRI JIBON ROY : The idea is being circulated, and it is being said to the Press intentionally that since the Labour Commission has submitted a report, its implementation is automatic. No less a person than the Prime Minister has been using the platform of the employers to announce before the report is tabled or prepared and submitted to the Government that labour reform will continue.

It is wrong. You know it very well that the first National Labour Commission had submitted its report in 1969. It was presided over by Justice Gajendra Gadkar, and till today, not a fraction of this report could be implemented, except the code of conduct, because, the absolute unanimity amongst the trade unions and the social partners was lacking. Therefore, I would request the Government to see that the Government do not flout this condition. You cannot even introduce a Bill before this House unless there is a total unanimity amongst the trade unions and employers. This is my first submission. I would like to know as to when you are discussing this report.

Secondly, you should declare unequivocally that processing of the report does not mean that it will be implemented. It is simply a report. I would also request the Prime Minister, through you, Sir, not to use the platform of the employers of the Indian industry to announce that it will be implemented and so on. Why has the Prime Minister used the CII platform before the report was prepared and submitted to the Government ? I would also like to know as to when this report will be laid on the Table of the House for our consideration.

श्री साहिब सिंह वर्मा : सभापति जी, मैं माननीय सदस्य को यह निवेदन करना चाहूंगा कि वर्ष 1969 में जो प्रथम श्रम आयोग की रिपोर्ट आई थी, उसके बाद से तो यहां पर अनेकों सरकारों ने काम किया है और जिन सरकारों ने काम किया है उसमें शायद ही कोई पोलिटिकल पार्टी बची हो। ... **(व्यवधान)** ... सभापति जी, मुझे अपनी बात कहने दी जाए। ... **(व्यवधान)** ...

SHRI JIBON ROY : No, no. It cannot be implemented without unanimity amongst the trade unions and the social partners. ... *(Interruptions)*...

श्री संघ प्रिय गौतम : जबाब तो आने दीजिए। ... **(व्यवधान)** ...

SHRI JIBON ROY : No, no. He is feeding the wrong information. He is telling the same thing that if they desire, it can be implemented. The Government cannot implement it unless there is a total unanimity amongst the different social partners.

श्री साहिब सिंह वर्मा : सभापति जी, माननीय सदस्य इतने उतावले क्यों हैं ? आपकी बात सबने बड़ी शांति से सुनी है, अब आप सुने तो सही। इसके बाद आप दस सवाल पूछिए और सभापति महोदय अनुमति देंगे तो मैं आपके दस सवालों का जबाब दूंगा, पचास सवाल पूछेंगे और अनुमति होगी तो पचास का जबाब दूंगा। आप तसल्ली रखिए। ... **(व्यवधान)** ...

SHRI JIBON ROY : Mr. Minister, you are new to this Ministry. That is why I am trying to feed you.

श्री साहिब सिंह वर्मा : माननीय सभापति जी, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि अगर उस प्रथम श्रम आयोग की रिपोर्ट पर ध्यान नहीं दिया गया, उसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया तो उसमें दोष हमारा कम है और हमारे सामने बैठे जो मित्र हैं उनका दोष ज्यादा है। आप जो प्रश्नकर्ता हैं, आपकी पार्टी के लोग भी सरकार में रहे हैं, उन्होंने भी उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, यद्यपि वह लेबर के चेम्प्यिन बनते हैं, उनके संरक्षक बनते हैं, उनकी हमेशा बात करते हैं। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि यह जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट पर बहुत जल्दी विचार होगा, बहुत जल्दी सबसे चर्चा होगी। इस हाऊस में डिस्कसन के लिए कब आएगा, यह तो आप माननीय सदस्य तय करेंगे, माननीय सभापति जी तय करेंगे। आज तो यह कैबिनेट के समाने जाएगा, इसके बाद जब भी सभापति जी इसकी अनुमति देंगे और जब भी सदन चाहेगा इस पर चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं। ... **(व्यवधान)** ...

SHRI JIBON ROY : Mr. Minister, you give an assurance that you won't implement this report unless there is complete unanimity amongst the trade unions and the social partners.

श्री साहिब सिंह वर्मा : आप सुन तो लें। सभापति जी, माननीय सदस्य से कहें कि वह मेरी बात सुन लें। । मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि यूनेनिमिटी बनाने की आवश्यकता है। प्रधान मंत्री जी ने खुद यह बात कही है, आपने ही बताया कि उन्होंने कहा है कि इसमें यूनेनिमिटी बनाने की आवश्यकता है। ... (**व्यवधान**) ... यह बात प्रधान मंत्री जी ने कही है, मैं भी सहमत हूं। ... (**व्यवधान**) ...

SHRI JIBON ROY : It is total disregard to the trade unions. ... *(Interruptions)* ...

श्री साहिब सिंह वर्मा : जब तक सभी पोलिटिकल पार्टी, सभी ट्रेड यूनियन्स, सबसे सलाह नहीं करेंगे और एक मोटी-मोटी कन्सेन्सस इसमें नहीं बनेगी जब तक तो हम इसे यहां से पास नहीं करा सकते, न इसको लागू कर सकते हैं। सबके सहयोग से ही हम इसको पास करेंगे, सबके सहयोग से ही यह लागू होगा और जो चीजें देश के हित में हैं, पूरे श्रम समाज के हित में हैं वही चीजें इसमें हम लाएंगे। यही हमारा संकल्प है।

श्री मुरली सीताराम देवरा : सम्मानीय सभापति जी, अभी-अभी नए-नए श्रम मंत्री जी श्रम नीति के बारे में कह रहे थे और प्रधान मंत्री ने क्या कहा उसको कोट कर रहे थे। मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं एनडीए की तरफ, जब आपकी सरकार बनी तो आप लोगों ने एक नया एजेंडा ''नेशनल एजेंडा फोर गवर्नेन्स'' लोगों के सामने रखा। उसमें प्रधान मंत्री ने खुद कहा और कितनी बार आज भी कह रहे हैं कि हर साल एक करोड़ या 10 मिलियन जॉब्स नई क्रिएट की जाएंगी। कुछ दिन पहले 24 अप्रैल, को शरद यादव साहब ने लोक सभा में एक प्रश्न के जबाब में कहा कि सही बात यह है कि एम्प्लायमेंट एक्सचेंज के थ्रू जो नए नाम आ रहे हैं, रजिस्टर में, वे तो बढ़ रहे हैं और नौकरियां दिलाने का कार्यक्रम कम हो रहा है। मैं नए श्रम मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि यह जो* आप कर रहे हैं कि एक करोड़ लोगों को नए जॉब देंगे, एक करोड़ लोगों को, तो क्या यह एजेंडा आप चेंज करेंगे, कितने बरस तक आप लोगों को धोखा देंगे कि "We are going to provide 10 million jobs", when there is a negative growth in employment. सारे के सारे फिगर्स पेपरों में आए हैं उस दिन बजट स्पीच में यशवंत सिन्हा जी ने कहा था ... (**व्यवधान**) ...

*Expunged as ordered by the Chair.

श्री संघ प्रिय गौतम : मैं नही जानता कि यह †शब्द असंसदीय है या नहीं, यदि असंसदीय हो तो इसे कार्यवाही से हटवा दीजिए।

श्री मुरली सीताराम देवरा : †आप रिवाइज क्यों नही करते हैं ? जब आपको मालूम है कि आप 10 मिलियन लोगों को जॉब्स नहीं दे सकते हैं, जब आपको मालूम है कि चार साल से निगेटिव ग्रोथ चल रही है, तो आप ऐसे क्यों कह रहे हैं ? मेरे पास फाइनेंस मिनिस्ट्री की, लेबर मिनिस्ट्री की सारी रिपोर्ट्स हैं, मैं क्वोट करके बताता हूं, मैं कटिंग दिखा रहा हूं, देखिए आप, "Factories slash 7 lakh jobs, Shed 8% of staff in three years", सारी पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स के अंदर 17 परसेंट से 20 परसेंट तक जॉब कम हुए है। It is high time that you realised the truth. How many years are you going to fool the people ? मैं आपसे निवेदन करूंगा और जानना चाहूंगा, आप नए-नए आए हैं, आप जरा उनसे बात करिए, जो उन्होंने जबाब दिया था, आप उसके लिए जिम्मेदार नहीं रहेंगे अगर आप उनसे कहेंगे कि आपने जो यह कहा था कि 10 मिलियन जॉब्स एक साल में देंगे, इसको रिवाइज़ करेंगे, सच्चाई पर आएंगे ?

श्री साहिब सिंह वर्मा : सभापति जी, माननीय सदस्य ने जो †शब्द इस्तेमाल किया, मैं इस तरह की बातें तो नहीं करना चाहता, लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि जो सरकार आज से 50 साल पहले आई थी और 50 साल पहले जो उन्होंने घोषणा-पत्र में बातें कही थीं, 50 साल बीत जाने के बाद और 45 साल राज करने के बाद भी उसमें ऐसी बहुत सारी बातें हैं, जो आज भी पूरी नहीं हुई हैं। मैं यह नहीं कहना चाहता कि ... (**व्यवधान**) ...

श्री संतोष बागड़ोदिया : आप क्या करेंगे, वह बताइए।

श्री साहिब सिंह वर्मा : मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता कि वे देश को धोखा देते रहे।... (**व्यवधान**) ...

श्री सभापति : आप मंत्री जी को सुनिए।

श्री साहिब सिंह वर्मा : मैं यह नहीं कहना चाहता कि वे 45-50 साल लोगों को धोखा देते रहे। मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि प्रधान मंत्री जी की यह बहुत चिंता है और यह जो लेबर कमीशन बनाया गया था, राष्ट्रीय श्रम आयोग बनाया गया था, लोगों को जॉब देने की दिशा में यह एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इसलिए मैंने कहा कि इसको हम बहुत जल्दी करना चाहते हैं, यह

†Expunged as ordered by the Chair.

उसी दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। आपने कहा कि ऐम्प्लायमेंट का निगेटिव ग्रोथ हो रहा है, उसी निगेटिव ग्रोथ को खत्म करने के लिए, एक ऐन्वायरमेंट देने के लिए, एक वातावरण देने के लिए यह एक कदम है ताकि अधिक से अधिक उद्योग-धंधे यहां खुलें, अधिक से अधिक लोगों को जॉब्स मिलें, उसी दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है और इसलिए आपको इसे एप्रिसिएट करना चाहिए। आप जो चीज़ कह रहे हैं, वह काम ऐसा वातावरण बनाने से, इसी माध्यम से ही होने वाला है और उसमें सब की सहमति की आवश्यकता है।

श्री लालू प्रसाद : माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने ठीक कहा कि वे किसान के बेटे है, हम किसान के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम लेबर की चर्चा कर रहे हैं। महोदय, मंत्री जी ने यह कहा कि हम सबकी राय लेकर विचार विमर्श करके ही यह बिल पास करवाएंगे। मेरे हाथ में दि इकनॉमिक टाइम्स, नई दिल्ली का है, इसमें है, THE ECONOMIC TIMES, New Delhi, dated 17th July, "Singh asks Labour Ministry to cut EPF interest to 9%". जो गरीबों-मजदूरों को 9.5 परसेंट मिलता था, उनकी कमाई का इंटरेस्ट था उसमें भी 174 करोड़ सरकार के खाते में बचता था, आपका डिपार्टमेंट लूट भी लेता था। हमारे सामने कई एक उदाहरण हैं, फरीदाबाद, गाजियाबाद के और मालिकों का जो पैसा था वह भी आप लोगों ने लुटवाया है। ... (**व्यवधान**) ...

श्री साहिब सिंह वर्मा : बिहार में तो सबसे ज्यादा लूट हुई है।

श्री लालू प्रसाद : पी.एफ. की ?

श्री साहिब सिंह वर्मा : आप सवाल करिए, मैं बताता हूं। ... (**व्यवधान**) ...

श्री प्रेम गुप्ता : आप पी.एफ. की बात कर रहे हैं या किसी और की बात कर रहे हैं ? ... (**व्यवधान**) ... क्या बात करते हो पी.एफ. की। बिहार की बात कर रहे हैं आप। ... (**व्यवधान**) ...

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : आप हमें नैतिकता मत सिखाएं, आपको वह शोभा नहीं देता।

श्री प्रेम गुप्ता : यह तो आपका सवाल है। ... (**व्यवधान**) ... आप मंत्री होकर इस तरह की बात करते हैं। ... (**व्यवधान**) ... हम आपके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। ... (**व्यवधान**) ...

श्री लालू प्रसाद : मंत्री जी आप ... (**व्यवधान**) ...

श्री सभापति : नहीं, नहीं, लालू प्रसाद यादव जी बोलेंगे और कोई नहीं बोलेगा ... (**व्यवधान**) ...

श्री लालू प्रसाद : सभापति महोदय, पी.एफ. का जो डिपार्टमेंट है वह भारत सरकार का है। मैं पी.एफ. की बात कर रहा हूं। साहिब सिंह वर्मा जी, आप बेहोश मत होईये। हम लोगों के पास दवाई आपकी भी है। इसलिए आप बात सुनिए। ... (**व्यवधान**) ...

श्री साहिब सिंह वर्मा : दवाई हमारे पास भी है। अब आप सवाल पूछिए। ... (**व्यवधान**) ...

श्री लालू प्रसाद : हां, ठीक है, दवाई है तो हम लोगों के पास होम्योपैथी और आयुर्वेदिक भी है अगर टेबलेट से नहीं मानिएगा तो हम आपरेशन भी करना जानते हैं।

सभापति महोदय, "Shri Jaswant Singh asked the Labour Ministry to cut the PF interest to 9 per cent." साढ़े नौ परसेंट इंटरेस्ट लेबर को, गरीब लोगों को मिलता था। महोदय, उसी में से 174 करोड़ सरकार के खाते में बचता था। अब उसका यह इंटरेस्ट घटने जा रहा है, इससे साढ़े चार सौ करोड़ रुपया इनके खाते में बच जायेगा। मैं यह जानना चाहता हूं, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, वह हम आर्गनाइज्ड लेबर की कर रहे हैं। इस देश में लगभग टोटल लेबर फोर्स् 40 करोड़ है और इसमें मात्र आठ करोड़ आर्गनाइज्ड सैक्टर में हैं। इसमें भी दो केटेगरी के लोग हैं, एक रेगुलर हैं और दूसरे वे हैं, जिनको ठेकेदारों के द्वारा रखा जाता है, इनका रिकार्ड में, पंजीयन में कोई हिसाब किताब नहीं है। इस तरह से इस देश के गरीब, जो मजदूर है और कमाने वाला वर्ग है, जो दौलत पैदा करता है, किस तरह से वह पैसा जमा करता है। हम यह जानना चाहते हैं कि यह जो रिपोर्ट आई है, यह रिपोर्ट आने के पहले सभी ट्रेड यूनियन, सभी पॉलिटिकल पार्टी को क्यों कांफीडेंस में नहीं लिया गया? मैं यह जानना चाहता हूं कि यह किसके इशारे पर किया गया है? मल्टी नेशनल जो इस देश के हाथ और लेबर को समाप्त करके मशीनों से और नई टेकनालॉजी से काम लेना चाहते हैं। इस देश में अन-आर्गनाइज्ड लेबर 92 परसेंट है, असंगठित जो मजदूर हैं, उनके हितों की गारंटी का इंतजाम आपकी रिपोर्ट में है या नहीं है? यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

श्री साहिब सिंह वर्मा : सभापति जी, माननीय सदस्य ने जो बातें कही हैं। ई.पी.एफ. के बारे में उन्होंने कहा है। उनको हमारे स्टैंड के बारे में और मिनिस्ट्री के स्टैंड के बारे में अच्छी तरह से पता है। जो उन्होंने 174 करोड़ की बात कही है, वह उनकी फिगर गलत है। लेकिन

उनकी बात कुल मिलाकर इस तरह से ठीक है कि अगर साढ़े नौ परसेंट इंटरेस्ट भी दे दें, जो हम ई.पी.एफ. को इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद भी 147 करोड़ रुपये के करीब बच जाते हैं।

आपने जो दूसरी बात कही है वह यह है कि अन-आर्गनाइज्ड सैक्टर में, असंगठित क्षेत्र में जो मजदूर काम करते हैं। यह जो कमीशन बनाया गया है, इसके पीछे टर्म आफ रेफरेंस थी, उसमें यही दो बातें मुख्य रूप से थीं। एक तो बात यह थी कि जो अन-आर्गनाइज्ड सैक्टर को कंट्रोल करने के लिए उसका रेशनलाइजेशन बनाया हुआ है, उसके ऊपर पुनर्विचार किया जाए और कैसे उसको ठीक बनाया जाए। उसको ऐसा बनाया जाए, जिसको मजदूर भी समझ सकें, जो कि बहुत सरल हो। क्योंकि जो बड़े-बड़े पूंजीपति हैं, वे तो ज्यादा कानूनों के लिए बड़े-बड़े वकील कर लेते हैं, वे तो कोई न कोई, कहीं न कहीं, किसी न किसी कानून से कोई चीज निकाल लेंगे, कहीं से कुछ निकाल लेंगे और फिर वे मजदूर को परेशान कर सकते हैं। इसलिए सरल कानून हो, सीधा कानून हो, बहुत विस्तृत कानून न हो, बहुत सारे कानून न हो। उसके पीछे एक उद्देश्य यह था कि जो दो टर्म आफ रेफरेंस थीं और दूसरा यह था कि जो अन-आर्गनाइज्ड सैक्टर में लोग काम करते हैं, जिनकी संख्या करीब-करीब 35 करोड़ है, उनको हम एक अम्ब्रेला लेजिसलेशन बनाकर के मिनिमम प्रोटेक्शन कैसे दें, उनका संरक्षण कैसे करें, उनका बचाव कैसे करें, यह इसके अंदर है। माननीय सदस्य ने एक बात यह भी कही कि हमने सब पालिटिकल पार्टीज को इस कमीशन की रिपोर्ट तैयार करते समय विश्वास में क्यों नहीं लिया। माननीय सदस्य को जानकारी होनी चाहिए कि जो कमीशन बनाया जाता है वह कमीशन तो अपने ढंग से काम करता है, किस-किस से सलाह करनी है, यह वह तय करता है और उसके बाद अपनी रिपोर्ट देता है। मैंने यह आश्वासन दिया है कि कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद, वह रिपोर्ट आप सब के हाथों में होगी। उस रिपोर्ट पर कोई भी फाइनल डिसीजन लेने से पहले पॉलिटिकल पार्टीज को उसके ऊपर चर्चा करने के लिए और अपने सुझाव देने के लिए पूरी आजादी होगी।

जितनी लेबर यूनियंस है उनको अपनी सलाह देने की, उस पर चर्चा करने की पूरी आजादी होगी। इस तरह के जितने एम्पलोयर्स के आर्गनाइजेशंस हैं उनको भी चर्चा करने की पूरी आजादी होगी और उसके बाद एक ब्रोड कंसेंसस के आधार पर फिर हम कोई ठोस प्रस्ताव सदन के सामने लाएंगे जिसमें सदन की सहमति होगी, वह प्रस्ताव पास होगा और फिर वह लागू किया जाएगा।

SHRI FALI S. NARIMAN : Sir, I believe, Shri Ramoowalia's question was pretty straightforward. He asked : What are the main recommendation of the Commission ? Sir, I wish to raise a fundamental point. When the

Government appoints a commission, I take it that it appoints an expert body. That is the very purpose of it. That body consults the widest possible number of people; in this case, the employers, employees, the whole lot of them. I do not understand one thing, and that is, the answer of the hon. Minister saying that the Report of the Commission is now under process and examination. Examination by whom and for what ? Sir, it is across the board that whenever commissions are appointed, it is a sheer waste of money and time, if the commission's report is not circulated. First it should be in a summary form; that summary report has to be disclosed. Once it is disclosed—Whatever be its recommendations—let them say, "We have consulted so and so, these are our views",—let us not be hypocritical about it; let us positively say, "these are the views that we now propagate", and we will encourage a debate on it. But to again say that we will examine it,—once again, somebody will make a report on a report—is, I think, a sheer waste of time. Therefore, I would recommend the hon. Minister to kindly say whether the Report was unanimous. If there was a dissent, what was the nature of that dissent and what were the main recommendations ? Then, one can debate it; one can discuss it, because this is a matter which is of very grave significance in this country. We all want to know whether globalisation will lead to gobblisation. That is the problem facing labour-intensive countries like ours. Therefore, the concern of the House, the concern of each and every Member, is this. What are the recommendations of this expert body and will these recommendations, the main recommendations, of the expert body, be brought here so that we can have a discussion on it ? There is no need for anybody in the Department of labour to once again go into it because otherwise that lady or that gentleman should have been appointed a member of the Commission.

श्री साहिब सिंह वर्मा : सभापति जी, जितने भी मुद्दे इसमें उठाए हैं, इसे पहले जो कुछ मैंने कहा है उसमें इन सबका उत्तर आ चुका है।

श्री संजय निरुपम : सभापति जी, श्रम सुधारों के लिए हमारे देश में जो कार्यक्रम चल रहा है उस कार्यक्रम के प्रति या श्रम सुधारों के नाम पर जो हमारे देश में कार्यक्रम चल रहा है उस कार्यक्रम के प्रति इस देश में लोगों की जो राय है वह स्पष्ट है। दो साल पहले यशवंत सिन्हा जी जब वित्त मंत्री थे तो उन्होंने अपने बजट में श्रम सुधारों की घोषणा की और उस घोषणा में मुख्य तौर पर जिस विषय पर सबसे ज्यादा आपत्ति थी उसमें मुख्य तौर पर यह कहा गया कि कम्पनी की रिट्रेंचमेंट की जो पॉवर है या उसको बंद करने का या क्लोजर का जो राइट है वह 100

से बढ़ाकर एक हजार किया जाए। उस पर लोगों की क्या राय है यह सबको मालूम है। अब इस कमीशन की रिपोर्ट का इंतजार पिछले एक-डेढ़ साल से तो हो रहा था। मेरे ख्याल से पिछले सत्र में जब शरद यादव जी मंत्री थे तो इसी विषय पर हम लोग इसी सदन में चर्चा कर रहे थे कि अगर एक कमीशन बैठाया गया है और उस कमीशन की रिपोर्ट का हम इंतजार कर रहे हैं और बजट में यशवंत सिन्हा जी ने इस तरह की घोषणा की थी तो इस बीच केबिनेट को क्या जल्दबाजी थी इस तरह की घोषणा करने की या फिर एनाउंसमेंट करने की। केबिनेट ने घोषणा की, उसके बाद उस पर प्रतिक्रियाएं हुई और पूरे सदन में प्रतिक्रियाएं हुईं। पूरे देश में पोलिटिकल पार्टीज हों या ट्रेड यूनियन के लीडर्स हों उन सबकी राय सरकार को लगभग मालूम है। अब मेरा अनुरोध यह है कि आप फिर से इन सबसे कंसल्ट करने के बजाए लोगों की क्या राय है, ट्रेड यूनियन की क्या राय है, पोलिटिकल पार्टीज की क्या राय है ...

यह लगभग सरकार जानती है, नये श्रम मंत्री महोदय को भी मालूम होगा। ऐसी स्थिति में बगैर इस रिपोर्ट को ज्यादा देर तक रोके, दबाए, मेरा अनुरोध होगा कि एक एक स्पैसिफिक जवाब दें कि अगली केबीनेट में यह रिपोर्ट रख रहा हूं और उसके नैक्स्ट वीक मैं यह रिपोर्ट लेकर पार्लियामेंट में खड़ा हो रहा हूं आप लोग आइए, डिसकस करिए। अभी जो नारीमन जी ने बात कही, वह निश्चित तौर पर एक तड़प थी कि यह इतना बड़ा विषय है, इस विषय पर पूरे देश में आंदोलन हो रहा है, पूरे देश का श्रम समुदाय आंदोलन कर रहा है और आप कह रहे हैं कि मैं आलरेडी जवाब दे चुका हूं, इससे ज्यादा जवाब नहीं दूंगा। मेरा भी अनुरोध है और लगभग सारे सदस्यों की राय यही है कि इस रिपोर्ट के संबंध में विशेष तौर पर आप अपना बयान जारी करें और अभी के अभी सदन में बताइए कि नैक्स्ट कैबीनेट मीटिंग में मैं लेकर जा रहा हूं। आपने खुद बताया कि टेबल पर रखनी है, इंट्रोड्यूज करनी है तो उसमें कैबीनेट में चर्चा नहीं होनी। चर्चा अंततः सदन में होनी है। आप कृपा कर यह बताएं कि स्पैसिफिकली हम अगले हफ्ते और अगले हफ्ते नहीं तो एक और हफ्ते के बाद या एक महीने बाद नैक्स्ट सैशन में रखेंगे। आप हमें स्पैसिफिकली बताइए कि कब कैबिनेट में इंट्रोड्यूज हो रहा है और कब पार्लियामेंट में आ रहा है ताकि हम इस पर डिसकशन कर सकें और रिपोर्ट में जो भी आपत्तिजनक अनुशंसाएं हैं, उन पर हम अपनी राय जाहिर कर सकें।

श्री साहिब सिंह वर्मा : सभापति महोदय, यह विषय हम चाहते थे, दो दिन पहले कैबीनेट की मीटिंग होनी थी, वह हाउस देर तक चला और कैबीनेट की मीटिंग नहीं हो पाई वरना

हम उसी दिन उनके सामने प्रस्तुत कर देते। आज कैबीनेट की मीटिंग है, उसके सामने प्रस्तुत हो रहा है। कल की बात नहीं, मैं आज की बात कह रहा हूं, आज ही प्रस्तुत हो रही है और उसके बाद फिर हम इसको जब आप चाहेंगे, इस विषय पर चर्चा के लिए, पूरी रिपोर्ट पर चर्चा के लिए—कुछ सदस्यों को इस पर अध्ययन करने के लिए जो समय चाहिए उसके बाद जब चाहे—जब यह सदन चाहे और आप चाहें इस पर चर्चा की जा सकती है।

SHRI PRANAB MUKHERJEE : Sir, I would just like to know why the Minister is repeating it. The point is whether you have any difficulty in placing it as it is. Normally, what Government does after getting a report is that, it studies it, and, along with the report, it gives an Action Taken Report. But this is a Report which, because of its very nature, has created a lot of interest among the Members and among the public. So, why can't this Report be placed on the Table of the House and why can't we have a discussion on it straightway ? Thereafter, the Government may decide what action it should take, in the light of that discussion. What Action Taken Report can you give along with this report, unless you have the views of members of the various political parties, the views of the different trade union organisations and so on ? Therefore, I am putting a very specific question. What difficulty do you have in placing this Report on the Table of the House and in inviting a discussion on it ?

श्री साहिब सिंह वर्मा : सभापति महोदय, मैं पहले ही कह चुका हूं कि इसके ऊपर सदन अगर चर्चा करे, सदन के पूरे व्यूज भी आ जाएंगे, उसके बाद जो औरों से चर्चा होनी है, वह व्यूज भी आ जाएंगे, उसके बाद फाइनली केबनेट के बाद में सदन की स्वीकृति के लिए सदन के सामने पेश होगी।

श्री नीलोत्पल बसु : रिपोर्ट कब देंगे ? इसके पहले रिपोर्ट कब देंगे, यह बता दीजिए तब ही चर्चा के लिए डेट तय हो सकती है। ...(**व्यवधान**)...

श्री साहिब सिंह वर्मा : सभापति महोदय, आज के बाद इस रिपोर्ट को कापी, हम इसके वैब साइट पर भी बनवा रहे हैं, आज के बाद लाइब्रेरी में भी रहेगी। आज के बाद आप इसका अध्ययन कर सकेंगे, इसको देख सकेंगे और जब इस पर चर्चा करना चाहें, इस रिपोर्ट पर चर्चा करना चाहें, इनके मुद्दों पर चर्चा करना चाहें, जब भी चर्चा करना चाहें, जब आप समय देंगे और जब सदन चाहेगा, चर्चा हो सकती है।

SHRI NILOTPAL BASU : All these reports are placed on the Table of the House. *(Interruptions).*

SHRI MOTILAL VORA : Sir, the Minister's reply is totally contradictory. The Commission submitted its Report on 29-6-2002. The Minister's reply is that the Report of the Commission is under process and examination. Then, he says that the recommendations of the Commission will require consultation with all concerned organisations and agencies. I want to know whether the Commission has submitted the Report without consulting the labour organisations. What is the purpose of consulting those organisations at this point of time ? The reply is totally vague. Either the Minister has not understood it or he does not know what he is saying.

श्री साहिब सिंह वर्मा : सभापति महोदय, हमने कहा है कि "आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने से पहले सभी संबंधित संगठनों/एजेंसियों से परामर्श करना अपेक्षित होगा।" इसमें हमने यह भी कहा है कि सिफारिशों को स्वीकार करने से पहले इसके लिए हमने अलग-अलग ग्रुप बनाए हैं जो इस रिपोर्ट का अध्ययन कर रहे हैं क्योंकि हमारे जितने अधिकार थे, they were not part of the Commission. So we are studying the Report. We will also consult all other organisations. As I said ... *(Interruptions).*

श्री मोती लाल वोरा : अगर ऑरगेनाइजेशंस डिसकस करेंगी तो कमीशन ने अब तक क्या किया है ?

SHRI NILOTPAL BASU : Why can't you place the Report on the Table of the House ? *(Interruptions).*

SHRI NILOTPAL BASU : Why can't the Minister place the Report of the Commission on the Table of the House ? (*Interruptions*) You are scuttling the issue. *(Interruptions).*

SHRI S.R. BOMMAI : You tell us as to what the Commission has recommended. *(Interruptions).*

श्री साहिब सिंह वर्मा : सभापति जी, मैंने यह कहा है कि आज ही केबिनेट में जाने के बाद सदस्यों को यह रिपोर्ट पढ़ने के लिए, देखने के लिए मिल जाएगी और वे जब चाहें, सदन में इस पर चर्चा कर सकते हैं। ... **(व्यवधान)** ...

डा. अलादी पी. राजकुमार : आप पार्लियामेंट लाइब्रेरी में रिपोर्ट को रखना चाह रहे हैं, वेबसाइट पर रखना चाह रहे हैं लेकिन सदन में नहीं रखना चाहते हैं ? ... (**व्यवधान**) ...

MR. CHAIRMAN : Let the Leader of the Opposition speak.

DR. MANMOHAN SINGH : Sir, I heard the hon. Minister saying that by this evening, the Report will be available in the Library and also on the Ministry's website is that correct ?

श्री साहिब सिंह वर्मा : सभापति जी, मैंने यह कहा है कि आज केबिनेट में इसको प्रस्तुत करने के फौरन बाद हम इसकी कॉपी पार्लियामेंट लाइब्रेरी में अध्ययन के लिए रख देंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है और जब वहां रख देंगे तो सदन के टेबल पर भी रख दी जाएगी। आप यदि कल के लिए कहेंगे तो कल ही टेबल पर रख देंगे। ... (**व्यवधान**) ...

श्री मोती लाल वोरा : पहले तो वह केबिनेट में रखी जाएगी ... (**व्यवधान**) ...

SHRI NILOTPAL BASU : Sir, it is a question of the right of the House. Without it being placed before the Cabinet, how can it be brought in the public domain ? *(Interruptions).*

श्री साहिब सिंह वर्मा : इसमें सरकार की किसी तरह से भी डिले करने की कोई मंशा नहीं है। डिले करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। ... (**व्यवधान**) ...

DR. ALLADI P. RAJKUMAR : Sir, I want a reply from the hon. Minister of Parliamentary Affairs. *(Interruptions)*

SHRI MOTILAL VORA : How can the Minister say that this matter is being placed before the Cabinet today ? Is he disclosing the thing here ? It is totally contradictory. Without knowing anything, he is saying that it will be placed in the Library. *(Interruptions)*

श्री प्रेम गुप्ता : महोदय, मंत्री जी आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं।

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI PRAMOD MAHAJAN) : Sir, normally, Reports are placed on the Table of the House with the Action Taken Report. As the hon. Deputy Leader of the Congress

Party has said, the Government can place it on the Table of the House even without the Action Taken Report. As the Minister has already said that two copies can be made available even in the Parliament Library, we, as Government, don't see any problem in placing the Report on the Table of the House. The only problem which I see is that we have to make enough copies of the Report in both the languages before placing it on the Table of the House. That is why, when we don't have about a thousand copies, both in Hindi and English, we keep it in the Parliament Library. The moment these copies are ready, we will place it on the Table of the House.

MR. CHAIRMAN : We have spent nearly 40 minutes on this question. Now, next question, Shri Khan Ghufran Zahidi.

भारत और नेपाल के बीच समझौता

†*62. **श्री खान गुफ़रान ज़ाहिदी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेपाल नरेश की हाल की भारत यात्रा के दौरान भारत और नेपाल के बीच हुई वार्ताओं और राजनैतिक एवं व्यापारिक समझौता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या नेपाल ने कुछ संवेदनशील चीजों पर से शुल्क हटाने की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) : एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा है।

विवरण

(क) से (ग) महामान्य नेपाल नरेश ज्ञानेन्द्र बीर बिक्रम शाह देव राष्ट्रपति के आमंत्रण पर 23 से 28 जून, 2002 तक भारत की राजकीय यात्रा पर आए। उनके राज्याभिषेक के बाद नेपाल नरेश ज्ञानेन्द्र की यह पहली विदेश यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान महाराजा ज्ञानेन्द्र ने भारत के राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ बातचीत की। गृह मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्री एवं योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने महाराजा ज्ञानेन्द्र से भेंट की। विपक्ष की नेता ने भी उनका स्वागत किया। उन्होंने कोलकाता तथा गुवाहटी की भी यात्रा की।

†Original notice of the Question was received in Hindi.